उत्तर प्रदेश शासन

उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2

संख्या- 32/2015/सीपी 221/84-2-2015-सीपी 29/96

लखनऊ : दिनांक : 06 नवम्बर, 2015

अधिसूचना

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (अधिनियम संख्या-68, सन् 1986) की धारा 30 की उपधारा (2) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, 1987 का संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (बारहवां संशोधन) नियमावली, 2015

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (बारहवां संशोधन) नियमावली, 2015 कही जाएगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम 3 का संशोधन 2- उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, 1987 में, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, नियम 3 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान उपनियम (1) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात्

स्तम्भ-1		**स्तम्भ-2**	
विद्यमान उपनियम		**एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम**	
(1)(क)	जिला फोरम का अध्यक्ष, यदि पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त किया जाये तो जिला न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन या यदि अंशकालिक आधार पर नियुक्त किया जाये तो प्रतिदिन 400/- रूपये का मानदेय प्राप्त करेगा। अन्य सदस्य यदि वे पूर्णकालिक आधार पर आसीन हैं तो प्रतिमास 10176/- रूपये का समेकित मानदेय प्राप्त करेंगे और यदि अंशकालिक आधार पर आसीन हैं तो बैठक के लिए प्रतिदिन 300/- रूपये का समेकित मानदेय प्राप्त करेंगे।	(1)(क)	जिला फोरम का अध्यक्ष, यदि पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त किया जाये तो जिला न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन प्राप्त करेगा। कोई सदस्य यदि वह पूर्णकालिक आधार पर आसीन है तो प्रतिमास 13950/- रूपये का समेकित मानदेय प्राप्त करेगा ।
(ख)	जिला फोरम का अध्यक्ष, यदि पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त किया जाय और उसे सरकारी आवास न दिया गया हो तो प्रतिमास 2400/- रूपये मकान किराया भत्ता प्राप्त करेगा।	(ख)	जिला फोरम का अध्यक्ष, यदि पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त किया जाय और उसे सरकारी आवास न दिया गया हो, तो प्रतिमास 3290/- रूपये मकान

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

			किराया भत्ता प्राप्त करेगा।
(ग)	जिला फोरम का सदस्य, यदि पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त किया जाय और उसे सरकारी आवास न दिया गया हो तो प्रतिमास 1800/- रूपये मकान किराया भत्ता प्राप्त करेगा।	(ग)	जिला फोरम का सदस्य, यदि पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त किया जाय और उसे सरकारी आवास न दिया गया हो तो प्रतिमास 2470/- रूपये मकान किराया भत्ता प्राप्त करेगा।

नियम 6 का संशोधन 3- उक्त नियमावली में, नियम 6 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान खंड (क) और (ग) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिये गये खंड रख दिये जायेंगे, अर्थात् :-

स्तम्भ-1		**स्तम्भ-2**
विद्यमान उपनियम		**एतद्द्वारा प्रतिस्थापित** खंड

(क)	राज्य आयोग का अध्यक्ष यदि पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त किया जाय तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन, या यदि अंशकालिक आधार पर नियुक्त किया जाय तो बैठक के लिए प्रतिदिन 500/- रूपये का समेकित मानदेय प्राप्त करेगा। अन्य सदस्य यदि वे पूर्णकालिक आधार पर आसीन हैं तो प्रतिमास 15262/- रूपये का समेकित मानदेय और यदि अंशकालिक आधार पर आसीन हैं तो बैठक के लिए प्रतिदिन 400/- रूपये का समेकित मानदेय प्राप्त करेंगें।	(क)	राज्य आयोग का अध्यक्ष यदि पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त किया जाय तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन प्राप्त करेगा। कोई सदस्य यदि वह पूर्णकालिक आधार पर आसीन है तो प्रतिमास 20910/- रूपये का समेकित मानदेय प्राप्त करेगा।
(ग)	राज्य आयोग का सदस्य किराया मुक्त आवास के हकदार होंगे। यदि ऐसा कोई आवास राज्य आयोग के सदस्य को न दिया जाय तो वह प्रतिमास 3000/- रूपये का मकान किराया भत्ता प्राप्त करेंगें।	(ग)	राज्य आयोग का सदस्य किराया मुक्त आवास का हकदार होगा। यदि ऐसा कोई आवास राज्य आयोग के सदस्य को न दिया जाय तो वह प्रतिमास 4110/- रूपये का मकान किराया भत्ता प्राप्त करेगा।

आज्ञा से,

सुधीर गर्ग
प्रमुख सचिव।

.....3.....

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 32/2015/सीपी 221(1)/84-2-2015-सीपी 29/96 तद्दिनांक

प्रतिलिपि - उक्त अधिसूचना के अंग्रेजी अनुवाद सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वह कृपया उपर्युक्त अधिसूचना को असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग-4 खण्ड - ख में दिनांक 06 नवम्बर, 2015 को प्रकाशित करने का कष्ट करें और इस अधिसूचना की गजट में प्रकाशित 1500 (एक हजार पांच सौ) प्रतियां अनुभाग अधिकारी, उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश सचिवालय, कक्ष संख्या-95, नवीन भवन, लखनऊ को अविलम्ब उपलप्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

बी0के0 त्रिपाठी
विशेष सचिव।

संख्या- 32/2015/सीपी 221(2)/84-2-2015-सीपी 29/96 तद्दिनांक

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

(1) महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) सचिव, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) कृषि भवन, नई दिल्ली।
(3) अध्यक्ष, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, सी-1, विक्रान्त खण्ड-1, गोमती नगर, लखनऊ।
(4) प्रमुख सचिव, न्याय विभाग एवं विधि परामर्शी, उत्तर प्रदेश शासन।
(5) महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
(6) निबन्धक, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जनपथ भवन, नई दिल्ली।
(7) समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
(8) निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, सी-1, विक्रान्त खण्ड-1, गोमती नगर, लखनऊ।
(9) निदेशक, कोषागार, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
(10) समस्त जनपदीय कोषाधिकारी, उ0प्र0 (द्वारा निबन्धक, राज्य आयोग)
(11) समस्त अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, उ0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया वह इस आदेश की प्रति सामान्य / महिला सदस्य व फोरम कार्यालय को भी उपलब्ध करा दें। (द्वारा निबन्धक, राज्य आयोग)
(12) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7, उत्तर प्रदेश शासन।
(13) वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1/2, उत्तर प्रदेश शासन।
(14) उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
(15) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
(16) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

राजेन्द्र मणि त्रिपाठी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

Uttar Pradesh Shasan
Upbhokta Sanrshan Evam Bant Map Anubhag-2

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no 32 /2015/C.P 221 /84-2-2015-C.P. 29/96 dated :: 06 November, 2015

NOTIFICATION

No. 32/2015/C.P. 221/84-2-2015-C.P. 29/96
Lucknow :: Dated :: 06 November, 2015

In exercise of powers under sub-section (2) of section 30 of the Consumer Protection Act 1986 (Act no. 68 of 1986), the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Consumer Protection Rules, 1987.

The Uttar Pradesh Consumer Protection (Twelveth Amendment) Rules, 2015

Short title and commencement	1(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Consumer Protection (Twelveth Amendment) Rules, 2015
	(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette.
Amendment of rule 3	2. In the Uttar Pradesh Consumer Protection Rules, 1987 hereinafter referred to as the said rules, in rule 3 for the existing sub-rule (1) set out in column 1 below, the sub-rule as set out in column 2 shall be substituted, namely :-

	Column 1		***Column 2***
	Existing sub rule		***Sub rule as hereby substituted***
(1) (a)	The President of District Forum shall receive the salary of the Judge of a District Court if appointed on whole time basis or an honorarium of Rs. 400/- per day if appointed on part time basis. Other Member if sitting on whole time basis, shall receive a consolidated honorarium of Rs. 10176 /- per month and if sitting on part time basis, a consolidated honorarium of Rs. 300/- per day for the sitting.	(1) (a)	The President of District Forum shall receive the salary of the Judge of a District Court if appointed on whole time basis. A Member if sitting on whole time basis, shall receive a consolidated honorarium of Rs. 13950 /- per month.
(b)	The President of the District Forum shall receive House Rent Allowance of Rs. 2400/- per month if appointed on whole time basis and no Government accommodation is provided to him.	(b)	The President of the District Forum shall receive House Rent Allowance of Rs. 3290/- per month if appointed on whole time basis and no Government accommodation is provided to him.

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(c)	The Member of the District Forum shall receive House Rent Allowance of Rs. 1800/- per month if appointed on whole time basis and no Government accommodation is provided to him.	(c)	The Member of the District Forum shall receive House Rent Allowance of Rs. 2470/- per month if appointed on whole time basis and no Government accommodation is provided to him.

Amendment of rule 6

3. In the said rules, in rule 6, in sub-rule (1) for the existing clauses (a) and (c) set out in column 1 below, the clauses as set out in column 2 shall be substituted, namely :-

	Column 1		**Column 2**
	Existing Clauses		***Clauses as hereby substituted***
(a)	The President of the State Commission shall receive the salary of the judge of the High Court if appointed on whole time basis, or a consolidated honorarium of Rs. 500/- per day for the sitting if appointed on part time basis. Other members if sitting on whole time basis shall receive a consolidated honorarium of Rs. 15262/- per month, and if sitting on part time basis a consolidated honorarium of Rs. 400/- per day for the sitting.	(a)	The President of the State Commission shall receive the salary of the judge of the High Court if appointed on whole time basis. A Member if sitting on whole time basis shall receive a consolidated honorarium of Rs. 20910/- per month.
(c)	The Member of the State Commission shall be entitled to rent free Government accommodation, if no such accommodation is provided, to the Member of the State Commission, he shall get house rent allowance of Rs. 3000/- per month.	(c)	The Member of the State Commission shall be entitled to rent free Government accommodation, if no such accommodation is provided, to the Member of the State Commission, he shall get house rent allowance of Rs. 4110/- per month.

BY ORDER,
SUDHIR GARG
PRAMUKH SACHIV

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।